10रु कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 20रु कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES भारत INDIA CANCELLED

168

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2015-16
निग - 2897 - I - 16

आवेदक- श्री रमेश जैन अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकर्ता 01 AUG 2016 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

1. रंजीत कुशवाहा आत्मज स्व. गंगाराम कुशवाहा, उम्र-24 वर्ष
2. मौसम कुशवाहा पिता स्व. गंगाराम उम्र-20 वर्ष, दोनो निवासी- विनोबा भावे वार्ड, पनागर, जिला जबलपुर म.प्र.

विरूध्द

अनावेदक-

171

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. नायाब तहसीलदार पनागर, जबलपुर।
3. मुन्नी बाई पत्नि रघुवीर उम्र-50 वर्ष निवासी- बहोरी पार, थाना बरगी, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.
4. सुमन बाई बाई पति स्व. राम किशन उम्र-लगभग 38 वर्ष, निवासी- लटकारी का पड़ाव, थाना लार्डगंज, तह. व जिला जबलपुर
5. पार्वती बाई पत्नी छोटेलाल उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम बहदन थाना भेड़ाघाट, तहसील व जिला जबलपुर

कैम्प न्यायालय पर प्राप्त 23/8/16

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदकगण न्यायालय नायब तहसीलदार पनागर के रा.प्र.क. 60/अ-6/293-14, रंजीत कुशवाहा व एक अन्य विरूध्द म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 10.6.16 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

1. यह कि, आवेदकगण के नाना स्व. खुशाल कुशवाहा के नाम से ग्राम पनागर, प.ह.नं. 8, नं.बं. ख.नं. 279, 280, 411/1, 776/3, 776/5 कुल रकबा 0.402 हेक्टेयर कृषि भूमि, रा.नि. मं. पनागर तहसील पनागर के राजस्व रिकार्डो में मालिक काबिज की हैसियत से नाम दर्ज है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2897-एक/16 **जिला** - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवेश जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। (सदस्य) **<u>कलेक्टर जिला जबलपुर</u>**	